तारीख हुक्म	
8/4/22	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 6/5/22 को पेश हो।
6/5/22	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 10/6/22 को पेश हो।
10/6/22	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 25/7/22 को पेश हो।
25/7/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी को मय वकील कोर्ट समक्ष से तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गयी। आवश्यक आवाजें दिलाने के प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित। अतः उक्त उनवान प्रकरण, प्रार्थी की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है, पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	(हस्ताक्षर) ..., गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:10:00 IST
Reason: SelfAttested

सेवामें,

श्रीमान सहायक कलक्टर (S.D.O.) महोदय

गुडामालानी

प्रार्थी :– रामाराम पुत्र सादूलाराम उम्र 48 वर्ष जाति जाट
निवासी हीरपुरा, मालपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. हनुमानराम पुत्र सादूलाराम उम्र 55 वर्ष
2. मंगनाराम पुत्र सादूलाराम उम्र 51 वर्ष
3. पेम्पों पत्नि सादूलाराम उम्र 75 वर्ष
   जाति जाट निवासी हीरपुरा, मालपुरा
   तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये श्री तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाडमेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

महोदयजी,

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत है कि :–

1. कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है।
2. कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 3 संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 52 रकबा 27.06 बीघा मौजा हीरपुरा पटवार क्षेत्र मालपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर की आराजी है। वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है।
3. कि विवादित भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा प्रार्थी के भाई गोमाराम लाऔलाद फौत हो चुका है जिस कारण वर्तमान में वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 1 से 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:10:00 IST
Reason: SelfAttested

रामाराम

प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है तथा पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा इसी हिस्सों के माफिक प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 3 विवादित भूमि काबिज है व काश्त कर रहे है तथा अपनी रहवासी ढाणिया, चारबाडे, पशुबाडे व टांके बने हुऐ है।

4. कि विवादित भूमि प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है तथा वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के बीच में हिस्से पूर्ण रूप से खुल्ले हुए नहीं होने के कारण खेत के हिस्से को लेकर विवाद रहता है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा होने से प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेढों को लेकर झगडा रहता है एवं विप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड रहे है तथा सामलाती भूमि का बेचान अजनबी व्यक्तियों को करने पर आमादा है। इस तथ्य को लेकर प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य तनाव की स्थिति बनी रहती है, इसलिये प्रार्थी वादग्रस्त खेत में विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की सामलाती भूमि में से अपने 1/4 हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

5. कि वर्तमान में भूमि की कीमतों की भूमि में वृद्वि होने के कारण विप्रार्थी संख्या 1 से 3 वादग्रस्त भूमि का बेचान करने पर प्रयासरत है जबकि भूमि का विधिवत रूप से बंटवाडा नहीं किया हुआ होने के कारण सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक ईंच पर समान हक व हिस्सा होता है तथा विप्रार्थीगण संयुक्त भूमि का भूमि उपजाऊपन व किस्म के अनुसार बंटवाडा न करवाकर स्वयं अच्छी किस्म की भूमि रखना चाहते है इसलिये प्रार्थी के हिस्से की कब्जे काश्त की भूमि में मौखि[illegible] अनुसार कायम सेढे को तोड़कर प्रार्थी को उसके क[illegible] आमादा है तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 3 मौके की स्थिति भारी [illegible]बदल करने पर आमादा है। यदि विप्रार्थीगण ने प्रार्थी द्वारा अपनी वर्षो की मेहनत से उपजाऊ बनाई गई भूमि बेचान कर वादी के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा कर प्रार्थी को बेंदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:10:00 IST
Reason: SelfAttested